

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 27 / 2022

निर्णय दिनांक: 05.08.2024

ऑनलाईन नम्बर 2022 / 353

भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 संपंधित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के पैतृक खातेदारी खेत खसरा नम्बर नये 657 / 249 रकबा 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 / 429 रकबा 1.3000 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर में स्थित है। उक्त खसरान प्रार्थी के पिता रामचन्द्रसिंह की खातेदारी के खेत रहें है। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थी के पिता रामचन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर ग्रामवासियों के बताये अनुसार रिकार्ड संधारणकर्ता द्वारा अंकित कर दिया गया जो गलत अंकित किया गया एवं इसी प्रकार प्रार्थी के पिता के देहान्त के उपरांत प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत (दरोगा) अंकित कर दिया गया जो कि गलत अंकित किया गया है, को प्रार्थना पत्र के जरिये सही करवाकर प्रार्थी अपना नाम वादगत खसरान के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सतासर अंकित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का वास्तविक एवं शुद्ध नाम भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सतासर हैं जो प्रार्थी के समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में अंकित हैं एवं प्रार्थी को इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है। प्रार्थी वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम व शुद्ध जाति दर्ज करवाना चाहता जिसका कि वह अधिकारी है। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम व जाति शुद्ध दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही मानते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध वादहेतू प्राप्त हैं। वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



प्रार्थी ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का निवासी हैं एवं वादगत खेत ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फिस पर अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा नम्बर नये 657/249 रकबा 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668/429 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम व जाति भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरुस्त कर प्रार्थी की वास्तविक एवं शुद्ध जाति व नाम भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। वहस उभयपक्षकारान सुनी गई। स्टेट की ओर से वहस करते हुए पैरोकारराज ने अपनी वहस में कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर दर्ज है जबकि गांव में पूछ-ताछ करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह है। श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र व श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र का नाम श्री भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह शुद्ध किया जाता है तो आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में जाति दरोगा दर्ज रिकॉर्ड है व प्रार्थी की वास्तविक जाति दरोगा है। प्रार्थी अधिवक्ता ने वहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर साक्ष्य के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015 पेश कर निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थी के पिता रामचन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर अंकित कर दिया गया जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर स्टेट की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

हमने उभयपक्षकारान की वहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर नये 657/249 रकबा 1.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668/429 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम व जाति भानीसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरुस्त कर प्रार्थी की वास्तविक एवं शुद्ध जाति व नाम भानीसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह

खण्ड अधिकारः
डूंगरगढ़ (बीकानेर)



जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक ०५.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (विकास)